

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़  
साधारण मूल कम्पनी न्यायालय  
में

कम्पनी याचिका सं 35 वर्ष 2015  
सी.पी. सं. 28 वर्ष 2015 के साथ संबंधित  
के विषय में :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 तक  
तथा

निम्नलिखित के बीच समामेलन की स्कीम के विषय में :

ओलिम्पस इमेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 102बी, प्रथम तल, टाइम टावर एम.जी. रोड,  
गुडगांव-122001 हरियाणा, भारत में है

.....अंतरणकर्ता कम्पनी/याचिकादाता कम्पनी सं.-।

तथा

ओलिम्पस मेडिकल सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, 102बी, प्रथम तल, टाइम टावर एम.जी. रोड,  
गुडगांव-122001 हरियाणा, भारत में है

.....अंतरिती कम्पनी/याचिकादाता कम्पनी सं. ।।

#### याचिका की सूचना

ओलिम्पस इमेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा ओलिम्पस मेडिकल सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम के संबंध में इस माननीय न्यायालय की मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 391 से 394 तक के तहत एक याचिका उपरोक्त याचिकादाता कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी तथा दिनांक 27.03.2015 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई थी और उक्त याचिका की सुनवाई माननीय कम्पनी न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 6.7.2015 को की जानी निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने का इच्छुक है, अपने आशय की सूचना, उसके नाम और पते सहित हस्ताक्षर करके, याचिकादाता कम्पनियों के अधिवक्ता को, भेज सकता है, जो याचिकादाता कम्पनियों के अधिवक्ता के पास, याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम 2 (दो) दिन पूर्व, पहुंच जानी चाहिए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार तथा अपने शपथपत्र की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत करनी होगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी इच्छुक व्यक्ति को याचिका की प्रति उस हेतु निर्धारित शुल्क के भुगतान पर दी जाएगी।

(अतुल वी सूद)

अधिवक्ता

याचिकादाताओं हेतु अधिवक्ता

3273, सेक्टर 15-डी, चंडीगढ़, पिन-160015

मोबाइल : 9815992288

चंडीगढ़

6.4.2015